OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 4 [Jul- Aug] Year 2025*

Research Article

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका : मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

चंद्र प्रकाश गौतम [1*], डॉ. प्रभात चौधरी [2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

[2] शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय पीजी कॉलेज, गुना, मध्य प्रदेश भारत

Corresponding Author: * चंद्र प्रकाश गौतम

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18000202

सारांश

ग्रामीण विकास भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गईं, जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन, आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। यद्यपि नीतिगत स्तर पर इन योजनाओं की परिकल्पना व्यापक एवं समावेशी रही है, तथापि जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव काफी हद तक प्रशासनिक क्रियान्वयन (Administrative Implementation) पर निर्भर करता है।

इस संदर्भ में जिला प्रशासन एक केंद्रीय संस्था के रूप में उभरता है, जो राज्य की नीतियों को ग्राम स्तर तक पहुँचाने का कार्य करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के संदर्भ में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में योजनाओं के प्रशासनिक संचालन, पंचायत-प्रशासन संबंध, जमीनी चुनौतियों तथा हालिया घटनाक्रमों (विशेषतः मनरेगा एवं 'विकास यात्रा' के विरोध) के आलोक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार प्रशासनिक दबाव, वित्तीय विसंगतियाँ और संस्थागत टकराव ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 20-07-2025
- **Accepted:** 28-08-2025
- **Published:** 31-08-2025
- **IJCRM:**4(4); 2025: 730-734
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

चंद्र प्रकाश गौतम, चौधरी पी. ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका: मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(4):730-734.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: ग्रामीण विकास, जिला प्रशासन, विकासात्मक प्रशासन , पंचायती राज व्यवस्था, योजना क्रियान्वयन , प्रशासनिक निगरानी , जवाबदेही , मनरेगा, पंचायत–प्रशासन संबंध, विकेन्द्रीकरण, भिण्ड जिला, ग्रामीण शासन ,पंचायती राज, भिण्ड जिला, प्रशासनिक चुनौतियाँ

© 2025 चंद्र प्रकाश गौतम, डॉ. प्रभात चौधरी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत को परंपरागत रूप से "ग्राम प्रधान देश" कहा जाता है, क्योंकि आज भी देश की बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक क्षमता ही किसी राष्ट्र के वास्तविक विकास का मानक होती है। यही कारण है कि भारतीय योजना-प्रणाली में ग्रामीण विकास को सदैव प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण विकास का आशय केवल आय-वृद्धि या भौतिक अवसंरचना के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहभागिता जैसे आयाम सम्मिलित हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी योजनाएँ लागू की हैं।

हालाँकि, यह एक स्थापित तथ्य है कि योजनाओं की घोषणा मात्र से विकास सुनिश्चित नहीं होता। योजनाओं का Effective Implementation, Monitoring और Accountability ही उनकी सफलता का निर्धारक होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन वह संस्था है जो नीति और व्यवहार (Policy & Practice) के बीच सेतु का कार्य करती है।

2. ग्रामीण विकास की अवधारणा, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य:

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। सामान्यतः इसे ग्रामीण समाज के जीवन-स्तर में समग्र सुधार की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है।

यू.एन.डी.पी. (UNDP) के अनुसार, ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को उनके संसाधनों पर नियंत्रण, निर्णय-निर्माण में भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं।

भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास का सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है:

- विकेन्द्रीकरण (Decentralization)
- लोकतांत्रिक सहभागिता (Participatory Governance)
- स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)
- सामाजिक न्याय एवं समावेशन (Social Justice & Inclusion)

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास को संस्थागत आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। भारतीय संदर्भ में इसे ग्रामीण समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। पंचायती राज मंत्रालय तथा नीति आयोग की रिपोर्टों में ग्रामीण विकास को सहयोगात्मक, समावेशी तथा सतत विकास की प्रक्रिया माना गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर ग्रामीण विकास को विकेन्द्रीकृत शासन (Decentralized Governance) से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को विकासात्मक कार्यों का दायित्व सौंपा गया।

परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाएँ पूर्णतः स्वायत्त न होकर जिला प्रशासन पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी मंजूरी, भुगतान आदेश (E-Payment Orders) और निगरानी जैसे प्रमुख कार्य जिला स्तर से नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार जिला प्रशासन ग्रामीण विकास की धुरी बन जाता है।

3. जिला प्रशासन की संरचना और ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन राज्य और ग्रामीण समाज के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला कलेक्टर (District Collector) जिला प्रशासन का प्रमुख होता है, जो विकासात्मक एवं नियामक दोनों प्रकार के कार्यों का संचालन करता है।

जिला प्रशासन की प्रमुख इकाइयाँ

- जिला कलेक्टर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जिला पंचायत
- अपर कलेक्टर / एसडीएम
- विभागीय अधिकारी (ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि)

ग्रामीण विकास के संदर्भ में जिला प्रशासन के कार्य निम्नलिखित हैं:

- योजनाओं का नियोजन (Planning)
- वित्तीय संसाधनों का आवंटन एवं नियंत्रण (Financial Management)
- क्रियान्वयन की निगरानी (Monitoring)
- प्रगति का मूल्यांकन (Evaluation)
- शिकायत निवारण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना

जिला प्रशासन भारतीय प्रशासनिक ढाँचे की वह इकाई है जो राज्य सरकार और स्थानीय समाज के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करती है। जिला कलेक्टर इसके प्रमुख होते हैं, जिनके अधीन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (SDM) तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी कार्य करते हैं।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में जिला प्रशासन की भूमिका बहुस्तरीय है। एक ओर वह योजनाओं के Planning and Coordination का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन, निगरानी तथा शिकायत निवारण की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। आधुनिक प्रशासनिक राज्य में जिला प्रशासन केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित न रहकर एक Development Administration के रूप में कार्य करता है। यही स्थिति भिण्ड जिले में भी परिलक्षित होती है।

© 2025 चंद्र प्रकाश गौतम, डॉ. प्रभात चौधरी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. भिण्ड जिले का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

भिण्ड जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है और चंबल अंचल का एक प्रमुख जिला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है।

जिले की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- ग्रामीण जनसंख्या का उच्च प्रतिशत
- सीमित औद्योगिक विकास
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की असमान उपलब्धता
- पलायन एवं बेरोजगारी की समस्या

इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

भिण्ड जिला मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में स्थित है और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से एक संवेदनशील जिला माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं कृषि-आधारित मजदूरी पर निर्भर है। सीमित औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, पलायन और संसाधनों की कमी इस जिले की प्रमुख समस्याएँ हैं।

ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला प्रशासन पर यह दायित्व होता है कि वह योजनाओं को केवल कागज़ी औपचारिकता तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप लागू करे।

5. भिण्ड जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

भिण्ड जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

यह योजना ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। जिला प्रशासन कार्यों की स्वीकृति, भुगतान एवं सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करता है।

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन लाभार्थी चयन, किस्त भुगतान एवं निर्माण की निगरानी करता है।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता जागरूकता का कार्य जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) जल जीवन मिशन

इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना है, जिसमें जिला प्रशासन तकनीकी एवं प्रशासनिक समन्वय की भूमिका निभाता है।

भिण्ड जिले में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएँ प्रमुख रूप से संचालित की जा रही हैं। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

किन्तु व्यवहार में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक प्रशासनिक समस्याएँ सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण ETV Bharat (State–M. P) की 12 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है।

6. योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका :

भिण्ड जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. **नीतिगत निर्देशन** – राज्य सरकार के निर्देशों को स्थानीय स्तर पर लागू करना
2. **संस्थागत समन्वय** – पंचायत, विभागों एवं एजेंसियों के बीच तालमेल
3. **वित्तीय निगरानी** – निधियों के दुरुपयोग को रोकना
4. **प्रशासनिक नियंत्रण** – समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

हालाँकि, कई योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति में विलंब, गुणवत्ता की कमी तथा निगरानी की कमजोरी भी सामने आती है।

7. 'विकास यात्रा' और मनरेगा विवाद :

एक व्यवहारिक अध्ययन ETV Bharat की रिपोर्ट के अनुसार, भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में सरपंचों ने राज्य सरकार की 'विकास यात्रा' का विरोध करते हुए विकास रथ को गाँवों में प्रवेश नहीं करने दिया। यह विरोध केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी प्रशासनिक और नीतिगत असंतुष्टि थी।

सरपंचों का आरोप था कि मनरेगा में लागू की गई बायोमेट्रिक उपस्थिति और लोकेशन-आधारित हाजिरी प्रणाली ने प्रशासनिक दबाव बढ़ा दिया है। यद्यपि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना था, परंतु जमीनी स्तर पर मजदूरी दर अत्यंत कम होने के कारण मजदूर कार्य करने को तैयार नहीं हैं।

ETV Bharat की रिपोर्ट में सरपंचों का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि "200 रुपये में मजदूर नहीं मिलते, बाजार में 400 रुपये मिल रहे हैं।" इस स्थिति में सरपंच मशीनों से कार्य कराने का प्रयास करते हैं, तो उन पर प्रशासनिक दबाव और शिकायतों का बोझ बढ़ जाता है।

यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच Institutional Conflict उत्पन्न हो गया है, जो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है।

8. प्रशासनिक चुनौतियाँ

भिण्ड जिले में जिला प्रशासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- मानव संसाधनों की कमी
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी क्षमता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पंचायत स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता
- सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन

ये चुनौतियाँ योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

© 2025 चंद्र प्रकाश गौतम, डॉ. प्रभात चौधरी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. प्रशासनिक दबाव, जवाबदेही और पंचायत-प्रशासन संबंध :

ETV Bharat की रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि सरपंचों पर ऊपर से शिकायतें "बंद कराने" का दबाव बनाया जाता है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों की स्वायत्तता प्रभावित होती है और वे विकास कार्यों की बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरपंच संघ का यह आरोप कि पंचायत चुनाव के आठ माह बाद भी विकास कार्यों के भुगतान नहीं हुए हैं, जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका केवल योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवहार, संवाद-प्रणाली और शक्ति-संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

10. विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

भारत एक ग्राम प्रधान देश तथा ग्रामीण विकास भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार निरंतर ध्यान दे रही है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास के बिना भारत जैसे विशाल एवं प्रजातान्त्रिक देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। पंचायतीराज महात्मा गाँधी की "ग्राम स्वराज्य" की परिकल्पना का एक साकार रूप है जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्रामपंचायतों के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है। 73 वां संशोधन जो 1992 में किया गया था इस दिशा में सराहनीय कदम था। पंचायतीराज व्यवस्था को चलाने में पंचायतीराज संस्थाओं का विशेष योगदान है जो सफल संचालन में अपना विशेष योगदान देती हैं। इसके सुखद परिणामों को वर्तमान ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनों के रूप में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में देखा जा सकता है। पंचायतीराज व्यवस्था ने विशेष रुप से महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के सदस्यों जो पूर्व में प्रायः राजनीतिक व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ रहते थे,को लाभान्वित किया है। पंचायतीराज व्यवस्था प्रजातंत्र को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है और प्रजातान्त्रिक मूल्यों के पोषण और संरक्षण में विशेष योगदान देता है ।

भिण्ड जिले के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका निर्णायक तो है, परंतु वह कई बार अत्यधिक केंद्रीकृत और दबावकारी हो जाती है।

जहाँ प्रशासनिक निगरानी पारदर्शी और सहयोगात्मक रही है, वहाँ योजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। वहीं दूसरी ओर, मनरेगा और विकास यात्रा से जुड़े विवाद यह दर्शाते हैं कि प्रशासनिक निर्णय यदि जमीनी यथार्थ से कटे हों तो वे विकास के बजाय असंतोष को जन्म देते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भिण्ड जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका केंद्रीय, किंतु जटिल है। प्रशासन एक ओर योजनाओं का संरक्षक है, तो दूसरी ओर वही पंचायतों और ग्रामीण समाज के असंतोष का केंद्र भी बन जाता है।

ग्रामीण विकास की सफलता के लिए आवश्यक है कि जिला प्रशासन Development Facilitator की भूमिका निभाए, न कि केवल नियंत्रणकारी संस्था की।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2019.
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): परिचालन दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
3. मध्य प्रदेश शासन. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: प्रशासनिक प्रतिवेदन. भोपाल: मध्य प्रदेश शासन; 2019–2020.
4. मध्य प्रदेश शासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग. जिला सांख्यिकी पुस्तिका: भिण्ड जिला. भोपाल: मध्य प्रदेश शासन.
5. नीति आयोग. Strategy for New India @75. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2018.
6. भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय. जल जीवन मिशन: परिचालन दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
7. धिंगरा एमएल. भारतीय लोक प्रशासन. नई दिल्ली: सुल्तान चंद एंड सन्स.
8. अवस्थी ए, अवस्थी एम. लोक प्रशासन. आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
9. महेश्वरी एसआर. भारतीय प्रशासन. नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया.
10. मिश्र बीबी. भारतीय ग्रामीण समाज एवं विकास. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस.
11. टोडारो एमपी, स्मिथ एससी. Economic Development. लंदन: पियरसन एजुकेशन.
12. उपाध्याय आरके. ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका. Ideal Research Review. 2020;1(21).
13. सिंह जी. Rural and Urban Development. लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय; (पाठ्य सामग्री).
14. कुमार वी. जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका. Ideal Research Review. 2020;1(21).
15. शर्मा आरएन. विकासात्मक प्रशासन: अवधारणा एवं व्यवहार. Indian Journal of Public Administration.
16. भिण्ड जिला प्रशासन. जिला प्रशासनिक अभिलेख एवं रिपोर्ट्स. भिण्ड: मध्य प्रदेश शासन.

© 2025 चंद्र प्रकाश गौतम, डॉ. प्रभात चौधरी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

17. ETV Bharat (मध्य प्रदेश). Bhind Vikas Yatra: सरपंच बोले—200 रुपये में नहीं मिलते मजदूर, मनरेगा राशि बढ़ाने की मांग. 12 फरवरी 2023.
18. ETV Bharat. भिंड में सरपंचों द्वारा विकास यात्रा का विरोध. अद्यतन 12 फरवरी 2023.
19. उपाध्याय आरके. ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका. Innovation: The Research Concept. 2016;1(3).

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 चंद्र प्रकाश गौतम, डॉ. प्रभात चौधरी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/